

भारत संघ और अन्य

बनाम

मेसर्स यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन एवं अन्य

(क्यूरेटिव पेट (सी) 2010 की संख्या 345-347)

14 मार्च, 2023

[संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, अभय एस. ओका, विक्रम नाथ और जे. के. माहेश्वरी,

न्यायाधीशगण]

भोपाल गैस त्रासदी मामला-निपटान राशि में वृद्धि की मांग करने वाली भारत संघ द्वारा दायर सुधारात्मक याचिकाएं-आयोजित: वर्तमान याचिकाएं भारत संघ द्वारा समझौते के 19 साल बाद दायर की गई थीं, जिसमें इसे फिर से खोलने की मांग की गई थी-मूल समझौते का आधार चिकित्सा राहत, पुनर्वास उपायों आदि के माध्यम से पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता थी-समझौते के बिना, पीड़ितों के लिए तत्काल धन उपलब्ध नहीं होता-समझौते के माध्यम से प्रारंभिक चरण में अंतिम रूप दिया गया था-इसे फिर से खोलने के प्रयास असफल साबित हुए-अब सुधारात्मक याचिकाएं भारत संघ द्वारा दायर की गई हैं, जिन्होंने समीक्षा याचिकाएं दायर नहीं की हैं-इसके अलावा, स्वीकार किया जाता है कि निपटान की राशि वास्तविक आवश्यकता के अधिशेष में पाई गई थी-इस प्रकार, दावेदारों को क्षतिपूर्ति करने के लिए निपटान राशि पर्याप्त थी-भारतीय रिजर्व बैंक के पास 1 करोड़ रुपये असंवितरित बचा हुआ है- विनियम दर संघ के पक्ष में कार्य किया क्योंकि डॉलर का विनियम दर बढ़ गया-परिशोधन राशि पर भी कुछ ब्याज आए-इसके अलावा, समीक्षा निर्णय में, कमी के मामले में, कमी को पूर्ण करने एवं प्रासंगिक बीमा नीतियों को निकालने में जिम्मेवारी भारत संघ पर रखी गई - इस पहलू पर संघ लापरवाह नहीं हो सकता है एवं पुनः यू.सी.सी. पर दायित्व निर्धारण हेतु एक प्रार्थना की माँग करे-1985 अधिनियम एवं

उसके तहत रचित योजनानुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे रुपया 50 करोड़ का उपयोग भारत संघ द्वारा यदि कोई लंबित दावा हो, तो उसके संतुष्टि के वास्ते किया जाएगा परिशोधन राशि को पूर्ण करने के वास्ते किसी ज्ञात कानूनी सिद्धांत में भारत संघ के दावे का कोई आधार नहीं है-सुधारात्मक याचिकाओं पर विचार नहीं किया गया भोपाल गैस रिसाव विपदा (दावों का संसाधन) अधिनियम, 1985

सुधारात्मक याचिका-आयोजित: - एक उपचारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के अंतिम फैसले की पुनः जांच से संबंधित है जो पहले ही समीक्षा अधिकार क्षेत्र के माध्यम से इस तरह की पुनः जांच से गुजर चुका है-अदालत की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग निश्चित रूप से एक मामले के रूप में नहीं किया जाना चाहिए-अदालत को उस आदेश पर पुनर्विचार करने में सावधानी बरतनी चाहिए जो समीक्षा याचिका को खारिज करने पर अंतिम हो गया था-हालांकि, वर्तमान मामले में मामले की प्रकृति को देखते हुए, उपचारात्मक याचिकाओं की जांच रख-रखाव पर प्रारंभिक आपत्ति के बावजूद की गई थी।

यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ और अन्य (1989) 3 एससीसी 38: [1989] 3 एस. सी. आर. 128; यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन निगम और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1991) 4 एससीसी 584: [1991] 1 पूरक एससीआर 251; भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन और एक अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2007) 9 एससीसी 707: [2007] 6 एससीआर 24; रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और एक अन्य (2002) 4 एससीसी 388: [2002] 2 एस. सी. आर. 1006; यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत संघ (2006) 13 एससीसी 321-संदर्भित।

वाद विधि का संदर्भ

[1989] 3 एस सी आर 128	संदर्भित	कंडिका 6
[1991] 1 पूरक एस सी आर 251	संदर्भित	कंडिका 9
[2007] 6 एस सी आर 24	संदर्भित	कंडिका 13
[2002] 2 एस सी आर 1006	संदर्भित	कंडिका 23

क्यूरेटिव पेट (सी) संख्या 2010 की 345-347 1989 की आर. पी. संख्या 229 एवं 623-624 के और 1988 की सी. ए. सं.3187-1988 और 1988 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 13080 में।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24.02.1989 के निर्णय एवं आदेश से 1989 के आर.पी.(सी)सं. 229 में एवं दिनांकित 15.02.1989 के निर्णय एवं आदेश से 1989 के आर.पी.(सी) संख्याएँ 623 एवं 624 में।

आर. वेंकटरमानी, ए. जी., सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., सौरभ मिश्रा, ए. ए. जी., आर. बालासुब्रमियम, एस. वसीम ए. कादरी, हरीश एन. साल्वे, रवींद्र श्रीवास्तव, सिद्धार्थ लूथरा, संजीव सेन, संजय पारिख, नवीन आर. नाथ, वरिष्ठ अधिवक्तागण, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री चिन्मायी चंद्रा, सुश्री श्रद्धा देशमुख, श्रीमती विजयलक्ष्मी वेंकटरमानी, आनंद ए. वेंकटरमानी, विनायक मेहरोत्रा, चितवन सिंघल, सुश्री मानसी सूद, सुश्री सोनाली जैन, अभिषेक कुमार पांडे, रमन यादव, नकुल चेंगप्पा के. के., सुश्री आकृति ए. मनुबरवाला, श्रीकांत नीलप्पा तेरदल, सुश्री करुणा नंदी, सुश्री अपर्णा भट, सुश्री करिश्मा मारिया, निश्चल आनंद, राहुल नारायण, सुश्री मुस्कान टिबरेवाला, अमनप्रीत सिंह, रागिनी नागपाल, ईशान कार्की, संचित शिव कुमार, श्रीमती शिराज कांट्रेक्टर पटोदिया, आशीष सिंह, सुश्री दिव्या शर्मा, सुश्री जूही चावला, मयंक सिंघल, सुश्री सान्या शुक्ला, सुश्री देवांगना सिंह सुश्री गायत्री गोस्वामी, पंकज सिंघल, शक्ति सिंह, आयुष आनंद, ईशान शर्मा, आदित्य घडजे, श्रीमती

वीणा गुप्ता, सुश्री भारती बदेसरा, सुश्री अंजलि सिंह, गौतम खेतान, ए.टी. पत्रा, अनुज कपूर, राहुल जैन, सात्विक पारिक, सुश्री सौम्या टंडन, मृणाल गोपाल एलकर, मृणाल एलकर मजुमदार, सन्नी चौधरी पक्षों की आरे से उपस्थित अधिवक्तागण

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

आदेश

1. भोपाल में मेसर्स यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (इसके बाद 'यू. सी. आई. एल.' के रूप में संदर्भित) के स्वामित्व और संचालन वाले कारखाने से घातक रासायनिक धुएं के निकलने के कारण 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को एक भयानक त्रासदी हुई। इस न्यायालय ने सामूहिक आपदा को "अपने परिमाण और तबाही में अद्वितीय और. स्वाभाविक रूप से खतरनाक प्रौद्योगिकियों के अमानवीय प्रभाव के लिए एक भयानक स्मारक" के रूप में चिह्नित किया। भारत संघ ने त्रासदी के परिणामस्वरूप प्रभावित समझौते पर पुनर्विचार की माँग करते हुए वर्तमान उपचारात्मक याचिकाएँ दाखिल की हैं।

वर्तमान याचिकाओं की पृष्ठभूमि और दावे

2. पीड़ितों को पारिश्रमिक प्रदान करने और उपचार के वितरण के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने के लिए, भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का प्रसंस्करण) अधिनियम, 1985 (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है), भारत सरकार द्वारा 20.02.1985 को अधिनियमित किया गया था। इसने केंद्र सरकार को मुआवजे का दावा करने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने और उसके स्थान पर कार्य करने का विशेष अधिकार प्रदान किया। इसने केंद्र सरकार को मुकदमे या अन्य कार्यवाही शुरू करने और समझौता करने का भी अधिकार दिया। नतीजतन, भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का पंजीकरण और प्रसंस्करण) योजना, 1985, उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई थी। इस योजना के लिए प्रक्रिया से निपटा उक्त

अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कल्याण आयुक्त को किए गए दावों को दाखिल करना और उनका प्रसंस्करण करना की प्रक्रिया से निपटने के लिए यह योजना है।

3. इसके बाद, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन (इसके बाद 'यूसीसी' के रूप में संदर्भित) के खिलाफ न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में मुआवजे के लिए कई कार्रवाई की गई। यू. सी. सी. न्यूयॉर्क स्थित एक निगम था जिसके पास त्रासदी के समय यू. सी. आई. एल. में 50.9% स्टॉक था। यू. सी. सी. ने एक असुविधाजनक मंच के आधार पर न्यूयॉर्क न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विरोध किया, यह दावा करते हुए कि यह खुद को भारत के न्यायालयों के अधीन कर चुका है। न्यायाधीश कीनन ने दिनांक 10.06.1986 के आदेश के माध्यम से इस याचिका को स्वीकार कर लिया और भारत में गवाहों की उपस्थिति और साक्ष्य सहित कई कारकों के आधार पर समेकित कार्रवाई को खारिज कर दिया। हालाँकि आदेश में यू. सी. सी. का बयान दर्ज किया गया कि वह भारत के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में समर्पित करने के लिए सहमति देगा।

4. उसी के परिणामस्वरूप, भारत संघ द्वारा यू. सी. सी. के खिलाफ जिला न्यायाधीश, भोपाल के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें लगभग 3 अरब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुआवजे की मांग की गई थी। पीड़ितों को मुआवजे के लिए धन उपलब्ध कराए जाने के बारे में आशंकित होने के कारण, संघ ने यू. सी. सी. से अंतरिम मुआवजे की मांग की। इस प्रार्थना पर जिला न्यायाधीश ने अनुकूल विचार किया, जिन्होंने यू. सी. सी. को रुपये 350 करोड़ की राशि अंतरिम मुआवजे के रूप में जमा करने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। अंतरिम मुआवजे के रूप में 350 करोड़ रुपये। हालाँकि, यू. सी. सी. द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका (ओं) में, इस राशि को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश दिनांक 04.04.1988 के माध्यम से घटाकर रु. 250 करोड़ कर दिया गया।

5. इस आदेश से व्यथित होकर, दोनों प्रतिद्वंदी पक्ष अर्थात् भारत संघ और यू. सी. सी. ने इस न्यायालय के समक्ष एस. एल. पी. दायर की। उन कार्यवाहियों में पारित आदेशों के संदर्भ में, पक्षों ने एक समझौते पर बातचीत करने का प्रयास किया, संभवतः अदालत से थोड़ा दबाव के साथ। यह प्रयास सफल रहा और यू. सी. सी. ने भोपाल गैस आपदा से संबंधित और उससे उत्पन्न होने वाले सभी दावों, अधिकारों और देनदारियों के निपटारे के लिए भारत संघ को 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। 14 और 15 फरवरी, 1989 को पारित इस न्यायालय के आदेशों में समझौते की शर्तें निर्धारित की गई थीं। इस न्यायालय ने कहा कि पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए तथ्यों और परिस्थितियों पर कई दिनों से सावधानीपूर्वक विचार किया गया था; जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों में कार्यवाही से संबंधित दलीलें, डेटा, सामग्री, विभिन्न कार्यवाहियों के विभिन्न चरणों में पक्षों के बीच प्रस्ताव और जवाबी प्रस्ताव, कानून के जटिल मुद्दे और उठाए गए तथ्य, साथ ही भोपाल गैस आपदा के कारण हुई मानव पीड़ा की व्यापकता और आपदा के पीड़ितों को तात्कालिक एवं पर्याप्त राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस प्रकार, यह देखा गया कि 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि साम्यिक, न्यायसंगत और उचित होगी। इसका भुगतान 31.03.1989 को या उससे पहले किया जाना था और इस प्रक्रिया में सभी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही को बंद किया जाना था।

6. उन कारणों को निर्धारित करने वाला एक विस्तृत आदेश जिसने इस न्यायालय को समझौते का आदेश देने के लिए अनुसरण किया, जिसके पश्चात् 04.05.1989 को **संघ कार्बाइड निगम बनाम भारत संघ एवं अन्य** के रूप में प्रतिवेदित आदेश पारित किया गया। हम उक्त आदेश के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे। इस न्यायालय ने नोट किया कि समझौते को प्रेरित करने वाला मूल विचार तत्काल राहत की अनिवार्य आवश्यकता थी। तत्काल उपचार देना आवश्यक समझा गया क्योंकि यह भयानक आपदा से बेसहारा हुए

हजारों लोगों के जीवित रहने का सवाल था। समझौते की मात्रा के संबंध में, इस न्यायालय ने उक्त आदेश के पैराग्राफ 14 में एक चेतावनी जोड़ी। यह देखा गया कि यदि कोई सामग्री अदालत के समक्ष एक उचित निष्कर्ष निकालने के लिए रखी गई थी कि यू. सी. सी. ने पहले 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सीधे भुगतान से अधिक किसी भी राशि का भुगतान करने की पेशकश की थी, तो इसके परिणामस्वरूप अदालत एक स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू करेगी, जिसमें पक्षों को यह दिखाने की आवश्यकता होगी कि समझौते को क्यों अलग नहीं किया जाना चाहिए और पक्षों को उनके संबंधित मूल पदों पर भेज दिया जाएगा। चर्चा तब निपटान राशि की तर्कसंगतता पर आगे बढ़ी। यह राय दी गई थी कि तर्कसंगतता के सवाल को निर्णय के माध्यम से सटीक मूल्यांकन के आधार पर समझने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, मात्रा एक व्यापक और सामान्य अनुमान था। इसके बजाय, मात्रा एक व्यापक और सामान्य अनुमान था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या इस तरह के समझौते से देरी, अनिश्चितताओं से बचा जा सकेगा और तत्काल भुगतान का आश्वासन मिलेगा। न्यायालय ने मृत्यु और काफी हद तक क्षतिपूर्ति योग्य व्यक्तिगत चोटों के मामलों के कुछ प्रथम दृष्टया निर्विवाद आंकड़ों पर आगे बढ़ना उचित समझा। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश से उत्पन्न तथ्यात्मक परिदृश्य का उल्लेख किया, जिसमें यह दर्ज किया गया था कि भारत संघ के अनुसार, आपदा के परिणामस्वरूप कुल 2660 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 30,000 से 40,000 के बीच गंभीर रूप से घायल हो गए। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लगभग 3000 घातक मामले बताए गए थे, और गंभीर और गंभीर व्यक्तिगत चोटों की संख्या लगभग 30,000 थी, जैसा कि अस्पताल के रिकॉर्ड से सत्यापित किया जा सकता है। मुआवजे की राशि का अनुमान लगाने में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 24 में निम्नलिखित आधार निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है:

“24. जहाँ तक व्यक्तिगत चोट के मामलों का संबंध है, लगभग 30,000 या आंशिक विकलांगता के मामलों के रूप में अनुमानित थे। पूर्ण या आंशिक विकलांगता के अनुसार रु. 2 लाख से लेकर रु.50,000 तक मुआवजा प्रति व्यक्ति का प्रावधान है एवं बाद की डिग्री की परिकल्पना की गई थी। यह अकेले रु.250 करोड़ का होगा। अस्थायी पूर्ण या आंशिक विकलांगता के अन्य 20,000 मामलों में रु. 1 लाख से लेकर रु. 25,000 का मुआवजा चोर की प्रकृति एवं विस्तार के आधार पर एवं अस्थायी अक्षमता की सीमा एवं डिग्री के आधार पर रु. 100 करोड़ का अगला आबंटन की परिकल्पना की गई थी। फिर से, अत्यधिक गंभीरता की चोटों की संभावना हो सकती है जिसमें रु.4 लाख प्रति व्यक्ति पर विचार करना पड़ सकता है। रु. 80 करोड़ इनमें से लगभग 2000 ऐसे मामलों के लिए अतिरिक्त रूप से परिकल्पना की गई थी। लगभग 500 करोड़ रुपये की राशि को घातक मामलों और ऐसी गंभीर व्यक्तिगत चोटों के 42,000 मामलों के लिए आवंटित माना जाता था, जो स्थायी या अस्थायी चरित्र के कुल या आंशिक अक्षमता को पीछे छोड़ देते हैं।”

7. विशेष संस्थागत चिकित्सा उपचार के लिए भी खर्च किए गए रु.25 करोड़) और ऐसे मामलों के लिए प्रावधान जो स्थायी/अस्थायी अक्षमता के नहीं थे, लेकिन मामूली चोटों, व्यक्तिगत सामान की हानि, पशुधन की हानि आदि के थे। (रु. 225 करोड़)। निपटान के समग्र पर उपार्जित ब्याज को भी ध्यान में रखा गया, जो 14 प्रतिशत से 14.5 प्रतिशत था।

8. उपरोक्त व्यापक आवंटन के पहलू पर, यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि भले ही कोई विशेष मामला ऐसी व्यापक श्रेणियों में आता है, दावेदार को देय वास्तविक मुआवजे का निर्धारण उक्त अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा किया जाना था। हालाँकि, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यदि मृत्यु या विकलांगता के मामलों की कुल संख्या इतनी बड़ी हो जाती है कि 'समझौते में अंतर्निहित बुनियादी धारणाओं' का मुकाबला किया जा सके, तो वह समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा।

9. मामले में अगला दौर निजी पक्षों द्वारा एक समीक्षा दायर करके समझौता शुरू करने के प्रयास से संबंधित है, अन्य बातों के साथ-साथ इस न्यायालय की एक समझौता दर्ज करने की शक्तियों पर। एक संविधान पीठ ने **संघ कार्बाइड निगम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** के मामले में इस मुद्दे की जाँच की। समझौते को एक चेतावनी के साथ बरकरार रखा गया था। निपटान द्वारा आपराधिक देनदारियों का उन्मूलन उचित नहीं माना गया और इस प्रकार, मूल आदेश के उस पहलू की समीक्षा की गई। एक समझौते पर पहुंचने की आवश्यकता के बारे में, रंगनाथ मिश्रा, न्यायाधीश (जैसा कि वे उस समय थे) ने इस न्यायालय का मार्गदर्शन करने वाले कारकों के बारे में विस्तार से बताया। न्यायालय को इस तथ्य का संज्ञान लेना पड़ा कि यू. सी. आई. एल. के माध्यम से यू. सी. सी. की भारतीय संपत्ति लगभग रु. 100 करोड़ उस समय थी। इस प्रकार, उस राशि से अधिक किसी भी डिक्री को यू. एस. ए. की अदालतों में निष्पादित करना होगा। यदि ऐसी डिक्री भारत में प्रचलित कानून के आधार पर निर्धारित की गई थी, यानी पूर्ण दायित्व (संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकृत आधार से अलग, यानी सख्त दायित्व); डिक्री उचित प्रक्रिया के आधार पर चुनौती देने के लिए खुली होगी और निष्पादन योग्य नहीं हो सकती है। इस पहलू पर, बहुमत के प्रमुख निर्णय ने मूल निर्णय में दर्ज समीचीन राहत की आवश्यकता जैसे संतुलित कारकों पर जोर दिया। जहाँ तक हमारे सामने वर्तमान विवाद का संबंध है, हम मुआवजे को अपर्याप्त पाए जाने पर पालन किए जाने वाले मार्ग पर न्यायालय की टिप्पणियों को चिह्नित करना चाहेंगे। ये **यूनियन कार्बाइड निगम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** के मामले के कंडिका 198 में निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

“198. एक सावधानीपूर्वक विचार के बाद, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ितों को निपटान के लाभ से वंचित करना भले ही बुद्धिमानी या उचित न हो, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है शायद असंभाव्य कि निपटान निधि के सभी वर्तमान दावेदारों के संबंध में निर्धारित मुआवजे को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाए जाने की

स्थिति में, वे व्यक्ति जिनके दावे निधि समाप्त होने के बाद निर्धारित किए जा सकते हैं, उन्हें खुद को बचाने के लिए नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन, निपटान निधि के आकार को देखते हुए ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न नहीं हो सकती है। यदि यह उत्पन्न होना चाहिए, तो पीड़ितों के हितों की रक्षा करने का उचित तरीका यह है कि भारत संघ, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में और जिन परिस्थितियों में समझौता किया गया था, उन्हें कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने में विफल नहीं पाया जाना चाहिए। हम उसी के अनुसार निर्णय लेते हैं और घोषणा करते हैं।”

10. उपरोक्त से पता चलता है कि पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत संघ पर बोझ पड़ेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायाधीश अहमदी ने संघ के दायित्व के इस पहलू पर असहमति जताई। हालाँकि, स्वाभाविक रूप से, बहुमत का दृष्टिकोण प्रबल है।

11. समीक्षा में नोट किया गया एक अन्य पहलू भोपाल की आबादी के सदस्यों के रूप में जिन्हें जोखिम में डाला गया था; और जो उस समय बिना लक्षण वाले थे और जिन्होंने मुआवजे के लिए आवेदन नहीं किया था, वे भविष्य में रोगसूचक हो सकते हैं। इसके अलावा, विषाक्तता के संपर्क में आने वाली माताओं के अजन्मे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता था, जहां ऐसे बच्चों में बाद में जन्मजात दोष विकसित होते हैं। ऐसी स्थिति के लिए, एक चिकित्सा समूह बीमा कवर की परिकल्पना की गई थी। यह **यूनियन कार्बाइड निगम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** की कंडिका 207 में बताया गया है, जो इस प्रकार है:

“207. हमारा विचार है कि संभावित संभावित पीड़ितों के इस आकस्मिक वर्ग को मुआवजे के लिए भारतीय सामान्य बीमा निगम या भारतीय जीवन बीमा निगम से एक उपयुक्त चिकित्सा समूह बीमा कवर प्राप्त करके ऐसी आकस्मिकताओं का ध्यान रखा जाएगा। बीमा देयता के लिए कोई व्यक्तिगत ऊपरी मौद्रिक सीमा नहीं होगी।

बीमा कवर की अवधि भविष्य में आठ साल की होनी चाहिए। इस समूह बीमा योजना द्वारा कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग एक लाख एवं एक लाख से कम व्यक्तियों की नहीं होनी चाहिए। आपदा के समय भोपाल शहर के गंभीर रूप से प्रभावित वार्डों की आबादी को ध्यान में रखते हुए और पिछले वर्षों में जन्म दर के राष्ट्रीय औसत और निगरानी की भविष्य की अवधि के आधार पर बाद के जन्मों द्वारा जनसंख्या में वृद्धि को बहिवेशित करते हुए, यह आंकड़ा मोटे तौर पर प्रभावित वार्डों की (एस. आई. सी.) आबादी के प्रतिशत के साथ चिकित्सा वर्गीकरण से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। जहां तक वर्तमान और जन्म के बाद होने वाले भविष्य के पीड़ितों के आकस्मिक वर्ग का संबंध है, यह बीमा कवर वस्तुतः निपटान को एक मुक्त अंत प्रदान करने का काम करेगा। संभावित दावेदार दो श्रेणियों में आते हैं: वे जो संपर्क के समय अस्तित्व में थे; और वे जो अभी तक अजन्मे थे और जिनके जन्मजात दोष एम. आई. सी. विषाक्तता के लिए वंशानुगत या जन्मजात रूप से व्युत्पन्न हैं।”

12. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मुआवजा एक समय के भीतर जमा किया गया था।

13. इसके बाद, पीड़ितों की ओर से समय-समय पर समझौता करने के लिए कुछ प्रयास किए गए। हालाँकि, भारत संघ द्वारा इनका विरोध किया गया और वे सफल नहीं हुए। सबसे नूतन ऐसा प्रयास भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य का था।

14. हमारा यहां भारत संघ द्वारा इस न्यायालय के उपचारात्मक अधिकार क्षेत्र के तहत समझौते के 19 साल बाद (यानी 2010 में) दायर एक आवेदन के साथ सामना करना

पड़ रहा है, जिसमें इसे फिर से खोलने की मांग की गई है। यह उल्लेखनीय है कि संघ ने समीक्षा याचिकाएं दायर नहीं करना पसंद किया, जिसकी परिणति इस न्यायालय के दिनांकित 02.05.1989 के आदेश में हुई। स्वाभाविक रूप से, वर्तमान याचिकाओं का यू. सी. सी. द्वारा कड़ा विरोध किया गया है, जबकि पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों ने उपचारात्मक याचिकाओं पर आधारित करने का प्रयास किया है।

15. उपचारात्मक याचिकाओं को मोटे तौर पर "तथ्यों और आंकड़ों की गलत धारणा" के कारण कहा गया है जो समझौते की मात्रा को कम करते हैं। इस प्रकार, याचिका यह है कि तथ्यों की इस अपूर्णता ने, विशेष रूप से पीड़ितों की संख्या के संबंध में, समझौते को ही दूषित कर दिया है। इस आधार पर, समझौते की राशि का इस न्यायालय द्वारा पुनः जाँच करने की आवश्यकता है। फिर भी, हम ध्यान दे सकते हैं कि भारत संघ इस तथ्य के बारे में काफी सचेत था कि यदि समझौते को फिर से खोला जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप मुकदमे का पुनरुद्धार होगा, कुछ ऐसा जिसका संघ ने दावा भी नहीं किया है। भारत संघ सार में जो दावा करता है वह है समझौते को पूरा करना यानी समझौते के तथ्य को बनाए रखना, लेकिन विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमानी द्वारा प्रचार की गई राशि को बढ़ाना।

16. याचिकाओं में दिए गए भारत संघ के दावे तीन श्रेणियों पर आधारित हैं:

“दावा-1: निम्नलिखित आधारों पर विवादित निर्णयों और आदेशों में तथ्यों और आंकड़ों की अयथार्थ और गलत धारणा के कारण दावा:

(i) मृत्यु के मामलों की गणना में त्रुटियां-न्यायालय ने मृत्यु के मामलों की अनुमानित संख्या 3,000 दर्ज की, जबकि मृत्यु का वास्तविक आंकड़ा 5,295 है।

(ii) अस्थायी चोट के मामलों की गणना में त्रुटियां-अदालत ने अस्थायी अक्षमता के मामलों की अनुमानित संख्या 20,000 दर्ज की, जबकि अस्थायी अक्षमता के मामलों का वास्तविक आंकड़ा 35,455 है।

(iii) मामूली चोट के मामलों की गणना में त्रुटियां-अदालत ने दर्ज किया कि मामूली चोट के मामलों की अनुमानित संख्या 50,000 थी जबकि मामूली चोट के मामलों का वास्तविक आंकड़ा 5,27,894 है।

(iv) अन्य मामले-कुछ श्रेणियों में (अर्थात् स्थायी अक्षमता, अत्यधिक गंभीर चोटें, संपत्ति का नुकसान और पशुधन का नुकसान), अदालत द्वारा मानी गई वास्तविक संख्या अधिक पाई गई है जिसके परिणामस्वरूप उन श्रेणियों में मुआवजे का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।"

17. इस श्रेणी के तहत दावा की गई कुल राशि उपचारात्मक याचिका दायर करने के समय रु 675.96 करोड़ थी। इस न्यायालय ने दिनांक 11.10.2022 के आदेश के माध्यम से उक्त तिथि पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के लिए अनुरोध किया। इन विवरणों को नीचे सारणीबद्ध रूप में रखा गया है:

श्रेणी	सर्वोच्च न्यायालय आदेश दिनांकित 4.5.1989	मामलों की(दिसंबर 2010 में)	मामलों की संख्या में अंतर	अतिरिक्त अनिवार्य राशि (31.10.2022 को)	मामलों की सं(31.10.2022 को)	मामलों की संख्या में अंतर(31.10.2022 को)	अतिरिक्त अनिवार्य राशि जिसका भुगतान करना है(31.10.2022)
	अनुमानित मामलों	दी गई राशि(रु. करोड़)	औसत राशि				

	की संख्या	में)							
	ए	बी	सी	डी	ई(ए-डी)	एफ(ई,सी)	जी	एच(ए-बी)	आई(एच सी)
मृत्यु	3000	70	2,33,000	5295	2,295	5347	5,479	2,479	57,76
स्थायी विकलांगता	30,000	250	83,000	4902	25,098	208-31	5,125	24,875	206.46
अस्थायी विकलांगता	20,000	100	50,000	35,455	15,455	77-27	34,343	14,343	71.72
अत्यधिक गंभीर मामले	2000	80	4,00,000	42	1,958	78-32	23	1,977	79.08
मामूली चोटें	50,000	100	20,000	5,27,894	4,77,894	955.79	5,27,727	4,77727	955.45
संपत्ति का नुकसान	50,000	75	15,000	555	,49445	74.17	555	49445	74.17
पशुधन का नुकसान	50,000	50	10,000	233	49,767	49.77	233	49767	49.77
कुल	2,05,000	725		5,74,376		675.96	5,73,485		675.45

18. चार्ट का अंतिम कॉलम भुगतान करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि को दर्शाता है। जहां मृत्यु और अस्थायी अक्षमता के मुआवजे के लिए आवश्यक राशि में वृद्धि हुई है, वहीं स्थायी अक्षमता और अधिकतम ए गंभीर मामले, साथ ही संपत्ति की हानि एवं

जीवन की हानि के मामलों के लिए अनिवार्य राशियों में भी कमी हुई है। यह उपलब्ध सामग्री के कारण मामलों के वर्गीकरण में कुछ बदलावों का परिणाम हो सकता है। वास्तविक वृद्धि मामूली चोटों के कारण हुई है जहां यह कहा गया है कि आवश्यक अतिरिक्त राशि रु. 955.45 करोड़ है। निस्संदेह, भारत सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्रवाई समूहों द्वारा दायर अभ्यावेदनों को देखते हुए पीड़ितों को मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए 08.09.1992 को निर्णय लिया गया था।

“दावा-II: 1,743.15 करोड़ रुपये का दावा राहत और पुनर्वास उपायों के लिए राज्य द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के कारण।”

19. उपरोक्त दावे को आगे बढ़ाकर रु. 4, 949.67 करोड़ कर दिया गया।

“दावा-III: पर्यावरण क्षरण के कारण रु.315.70 करोड़ का दावा।”

20. इस श्रेणी के तहत अद्यतन राशि रु. 486.78 करोड़ है।

21. भारत संघ ने यह भी दावा किया है कि चूंकि संशोधित राशि का दावा निपटान के कई वर्षों बाद किया जा रहा है, इसलिए रुपये का अवमूल्यन, ब्याज दर, क्रय शक्ति समानता और मुद्रास्फीति सूचकांक जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन विचारों को वैकल्पिक रूप में प्रस्तुत किया गया था और निम्नलिखित तालिका में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

विकल्प	दावा I		दावा II		दावा III		कुल	
	2010	2022	2010	2022	2010	2022	2010	2022
विकल्प-I	5786.07	8562.09	1743.15	4,949.67	315.70	486.78	7844.92	13,998.54
विकल्प-II	3298.69	7130.16	1743.15	4,949.67	315.70	486.78	5357.54	12,566.61
विकल्प-III	2939.36	6744.80	1743.15	4,949.67	315.70	486.78	4995.21	12,181.25

* वार्षिक एल.आई.बी.ओ.आर. पर आधारित गणनाएँ

\$ औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी. पी. आई.) लागू करके गणना

& 7 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित गणना

यू. सी. सी. की प्रस्तुतियाँ

22. यू. सी. सी. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने सुधारात्मक याचिकाओं का कड़ा विरोध किया।

23. प्रारंभिक आपत्ति समझौते के दो दशकों के बाद एक उपचारात्मक याचिकाओं की स्थिरता पर थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह **रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं एक अन्य** में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन था, जिसमें इस न्यायालय ने अपनी उपचारात्मक अधिकारिता के लिए बहुत सीमित रूपरेखा निर्दिष्ट की थी:

"51. फिर भी, हम सोचते हैं कि एक याचिकाकर्ता ऋण-मुक्त न्याय राहत का हकदार है यदि वह यह स्थापित करता है कि (1) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन इस आधार पर किया गया है कि वह एल. आई. एस. का पक्षकार नहीं था, लेकिन निर्णय ने उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला या, यदि वह एल. आई. एस. का पक्षकार था, तो उसे कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई और मामला इस तरह आगे बढ़ा जैसे कि उसके पास सूचना थी और (2) जहां कार्यवाही में एक विद्वान न्यायाधीश विषय-वस्तु या पक्षकारों के साथ अपने संबंध का खुलासा करने में विफल रहा, जो पक्षपात की आशंका के लिए गुंजाइश दे रहे थे और निर्णय याचिकाकर्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।"

24. यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान उपचारात्मक याचिकाएं इनमें से किसी भी मानदंड के अंतर्गत नहीं आती हैं। यू. सी. सी. के वकील ने **रूपा अशोक हुर्रा**, के पैराग्राफ 52 के आधार पर एक और प्रक्रियात्मक कमी पर भी प्रकाश डाला, जिसमें याचिकाकर्ता को

विशेष रूप से यह कहना आवश्यक है कि उपचारात्मक याचिका में उल्लिखित आधारों को समीक्षा याचिका में लिया गया था और बाद में प्रचलन द्वारा खारिज कर दिया गया था। चूँकि भारत संघ ने समीक्षा याचिकाएँ दायर नहीं की थीं, इसलिए उपचारात्मक याचिकाओं को सीमा से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए।

25. जवाब में, विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि यह इस न्यायालय का विशेषाधिकार है कि वह अपने उपचारात्मक अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में एक नया पाठ्यक्रम तैयार करे, और इसको **रूपा अशोक हुरा** में निर्दिष्ट मौजूद मानदंडों तक सीमित न रखे।

रखरखाव पर

26. इस प्रारंभिक बिंदु पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि एक उपचारात्मक याचिका इस न्यायालय के अंतिम निर्णय की पुनः जांच से संबंधित है, विशेष रूप से वह जो पहले ही न्यायालय के समीक्षा क्षेत्राधिकार के माध्यम से इस तरह की पुनः जांच से गुजर चुका है। चूँकि इस न्यायालय का समीक्षा क्षेत्राधिकार अपने आप में इतना प्रतिबंधात्मक है, इसलिए हमें यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि यह न्यायालय एक उपचारात्मक क्षेत्राधिकार तैयार कर सकता है जो चरित्र में व्यापक है।

27. इस मामले के तथ्यों पर, हम पहले ही देख चुके हैं कि जब समझौते को दर्ज करने वाले आदेशों के खिलाफ समीक्षा याचिकाएं दायर की गई थीं, तो भारत संघ ने इसका समर्थन करने की मांग की थी। हालाँकि, संघ ने बाद में समझौते को फिर से खोलने के लिए दायर अन्य सभी आवेदनों का विरोध किया। हम समझते हैं कि इस तरह की रणनीति को अपनाया गया था क्योंकि भारत संघ का प्रयास निपटान को अलग रखना नहीं है, बल्कि केवल निपटान राशि को पूर्ण करना है।

28. हमें इस तरह की प्रार्थना की अनुमति देने और उपचारात्मक याचिकाओं के माध्यम से इस तरह की अद्वितीय राहत देने में बहुत हिचकिचाहट है। यद्यपि **रूपा अशोक**

हुरा में इस न्यायालय ने उन सभी आधारों की गणना नहीं करने का फैसला किया, जिन पर एक उपचारात्मक याचिका पर विचार किया जा सकता है; न्यायालय यह टिप्पणी करने में स्पष्ट था कि उसकी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग निश्चित रूप से एक मामले के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, और इस न्यायालय के एक आदेश पर पुनर्विचार करने में उसे सावधानी बरतनी चाहिए जो समीक्षा याचिका को खारिज करने पर अंतिम हो गया था। फिर भी, हमारे सामने मामले की प्रकृति को देखते हुए, उपरोक्त प्रारंभिक आपत्ति के अलावा, उपचारात्मक याचिकाओं की भी जांच करना उचित होगा।

गुणों के बारे में

29. उपचारात्मक याचिकाओं में दावों के गुण-दोष पर आपत्तियों की ओर रुख करते हुए, यू. सी. सी. के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि 470 करोड़ अमेरिकी डॉलर (जमा किए जाने के लिए आवश्यक 750 करोड़ रुपये) इस प्रकार जमा किए गए थे और इस प्रकार, यदि निपटान को अलग रखा जाना है, तो इसका एकमात्र परिणाम मुकदमे को पुनर्जीवित करना होगा। एक परिणाम के रूप में, भारत संघ को यू. सी. सी. के दायित्व को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने की आवश्यकता होगी, और यू. सी. सी. को भारत संघ द्वारा ब्याज के साथ 470 करोड़ अमेरिकी डॉलर वापस भेजने का अधिकार होगा।

30. यह बताया गया कि वर्ष 2007 में निजी संगठनों द्वारा निपटान निधि को बढ़ाने के लिए अंतर्वर्ती आवेदनों के माध्यम से एक प्रयास किया गया था। इस प्रार्थना को **भोपाल गैस पीड़ित महिला आयोग संगठन** मामले में इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि समझौते की फिर से जांच नहीं की जा सकती क्योंकि मुद्दा पहले ही तय हो चुका था। व्यक्तिगत पीड़ितों और संगठनों के संबंध में, मुआवजे की राशि के प्रति किसी भी शिकायत को उक्त अधिनियम के तहत गठित उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष उठाया जाना था। यह उल्लेखनीय है कि भारत संघ ने निजी पक्षों की याचिका का विरोध किया था और

इस न्यायालय के समक्ष यह रुख अपनाया था कि दावों पर निर्णय लिया गया था और उक्त अधिनियम के तहत तैयार की गई योजना के संदर्भ में मुआवजे का भुगतान किया गया था।

31. उपरोक्त वर्तमान उपचारात्मक याचिकाओं को दाखिल करने से पहले नवीनतम प्रयास था। हालाँकि, इससे पहले भी, कुछ निजी संगठनों ने निपटान निधि से बची अतिरिक्त राशि के वितरण के लिए अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए थे। **यूनियम कार्बाइड कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत संघ** मामले में इस न्यायालय ने कहा कि उस तिथि को लगभग रु.1503.01 करोड़ निपटान निधि के रूप में उपलब्ध थे, और इस प्रकार आदेश दिया गया कि इस राशि को उन व्यक्तियों को अनुपात के आधार पर वितरित किया जाए जिनके दावों का निपटारा किया गया था।

32. निधि के विकास के दो कारण प्रतीत होते हैं-(ए) उस पर ब्याज और (बी) अधिक महत्वपूर्ण रूप से, अमेरिकी डॉलर के पक्ष में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि विद्वान महान्यायवादी यह प्रस्तुत करने में सही थे कि यू. सी. सी. विपरीत दिशा में एक काल्पनिक उतार-चढ़ाव का लाभ नहीं उठा सकता था, यानी रुपये के पक्ष में। फिर भी, तथ्य यह है कि समय के बीतने को देखते हुए निपटान निधि और उससे संवितरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

33. इसके बाद, यू. सी. सी. के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इस न्यायालय के दिनांकित 14.02.1989 और 15.02.1989 के आदेशों की भाषा ने समझौते की व्यापक प्रकृति के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। यू. सी. सी. अपने दायित्व के बारे में कोई निष्कर्ष निकाले बिना भी समझौते पर सहमत हो गया था। यू. सी. सी. की भारतीय हिस्सेदारी, यानी यू. सी. आई. एल. को समाप्त कर दिया गया था। समझौता केवल इस आधार पर स्वीकार किया गया था कि यह एक समग्र समझौता था, जिसने किसी भी कानूनी कार्यवाही के प्रति इसके संभावित खुलाव को समाप्त कर दिया। समझौते पर अंतिम मुहर के रूप में; इस

न्यायालय के दिनांक 15.02.1989 के आदेश ने भारत संघ और मध्य प्रदेश राज्य पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य लगाया था कि यू. सी. सी. के खिलाफ भविष्य में दायर किसी भी मुकदमे, दावे या दीवानी शिकायत का भारत संघ द्वारा बचाव किया जाएगा और उक्त आदेश के संदर्भ में उसका निपटारा किया जाएगा।

34. यह आग्रह किया गया कि समीक्षा निर्णय ने 'समझौते में अंतर्निहित बुनियादी धारणाओं' की पुष्टि की थी और आपराधिक कार्यवाही को बंद करने के पहलू को छोड़कर, समझौते को ही बरकरार रखा गया था। इसके अलावा, वर्तमान उपचारात्मक याचिकाओं में उठाए जाने वाले मुद्दे वास्तव में निजी पक्षों द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं में उठाए गए थे और अंत में इस न्यायालय के दिनांक 03.10.1991 के आदेश द्वारा निर्णय लिया गया था।

35. इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि भारत संघ के दावे-के सार, यानी मौतों, चोटों आदि की गणना में त्रुटियों के कारण, वास्तव में इस न्यायालय द्वारा अपने समीक्षा निर्णय में संबोधित किया गया था। इस अदालत ने बिना लक्षण वाले व्यक्तियों के बाद में बीमार होने के जोखिम से निपटा था और भारत संघ को आठ साल के लिए बीमा कवर प्राप्त करने और पीड़ितों की मुफ्त चिकित्सा निगरानी और उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया था। निपटान निधि में किसी भी कमी के मामले में, ऐसी कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत संघ को दी गई थी। श्री साल्वे ने इस बात पर जोर दिया कि मामले की जटिलता और पीड़ितों को लंबे, थकाऊ और अनिश्चित मुकदमे की संभावनाओं से बचाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए पर्याप्तता या निष्पक्षता के आधार पर सवाल उठाकर किसी समझौते के लाभों को कम करना खतरनाक होगा।

36. यह आगे तर्क दिया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित निपटान डिक्री यू. सी. सी. के दायित्व या देय मुआवजे की मात्रा पर कोई निर्णय नहीं था, क्योंकि मुकदमा कभी भी

सुनवाई के लिए नहीं गया था। दोनों पक्षों की सहमति के बिना सहमति समझौता एकतरफा रूप से बढ़ाया नहीं किया जा सकता है। भारत संघ ने समझौते के खिलाफ कोई आरोप या इसे दरकिनार करने के लिए कोई आधार नहीं लाया है। संघ समझौते को अलग करने के परिणामों से पूरी तरह से अवगत था और इस प्रकार, उनकी याचिकाओं को निपटान राशि को 'पूर्ण करने' के लिए प्रार्थना तक सीमित कर दिया।

37. इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऐसी कोई बुनियादी धारणा नहीं थी जिसे गलत माना जा सके। ऊपर पुनः प्रस्तुत तालिका में, यह प्रतीत होता है कि एकमात्र सिर जिसमें कोई बड़ा बदलाव हुआ था, वह 'मामूली चोटों' के संबंध में था। हालाँकि, यह त्रासदी के बाद हुई चोटों के संघ के अपने वर्गीकरण और बड़ी संख्या में व्यक्तियों तक राहत के कवरेज का विस्तार करने के उनके निर्णय के परिणामस्वरूप हुआ। यह केवल संघ के पास उपलब्ध बड़ी राशि के कारण संभव हुआ, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 19.05.2004 के आदेश में। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की उपलब्धता को ध्यान में रखा था और इसके परिणामस्वरूप अनुपात के आधार पर इसका वितरण का अधिनिर्णय किया था। कल्याण आयुक्त ने दर्ज किया था कि पहले दौर में 1,548.95 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद, 1509.14 करोड़ रुपये का और भुगतान किया गया था। इस प्रकार, पीड़ितों को कुल 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।

38. वास्तव में, विद्वान महान्यायवादी द्वारा हमारे समक्ष यह स्वीकार किया जाता है कि पीड़ितों की देखभाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास अभी भी 50 करोड़ रुपये पड़े हुए थे।

39. हम ध्यान दे सकते हैं कि हस्तक्षेप करने वालों, जो पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन हैं, ने भी इसी तरह की दलीलें उठाई हैं और उनकी प्रार्थना निपटान राशि

को बढ़ाने के लिए भी है। श्री संजय पारेख, विद्वान वरिष्ठ वकील, वृद्धि की मांग करते समय विद्वान महान्यायवादी की दलीलों को प्रतिबिंबित करते दिखाई दिए। इसके अलावा, उन्होंने उन पीड़ितों के लाभ के लिए चिकित्सा अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए प्रार्थना की, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया था ताकि उनकी चोटों का उचित मूल्यांकन किया जा सके। हालाँकि यह पहलू मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित बताया गया है।

विश्लेषण

40. हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। जबकि हम भयानक त्रासदी के पीड़ितों के साथ सहानुभूति रखते हैं, हम कानून के स्थापित सिद्धांतों की अवहेलना करने में असमर्थ हैं, विशेष रूप से उपचारात्मक स्तर पर। पीड़ितों के लिए केवल सहानुभूति हमें एक रामबाण तैयार करने में सक्षम नहीं बनाती है; विशेष रूप से विवाद की प्रकृति और उन कई अवसरों को देखते हुए जिन पर इस न्यायालय ने समझौते के लिए अपना विचारण किया है।

41. मूल समझौते का आधार पीड़ितों को चिकित्सा राहत, पुनर्वास उपायों, सुविधाओं की स्थापना आदि के माध्यम से तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता थी। यह इस न्यायालय द्वारा हर कदम पर स्पष्ट रूप से देखा गया है; चाहे वह समझौता दर्ज करने वाले आदेशों में हो, उसी के कारणों का विवरण देने वाला आदेश हो, और समीक्षा निर्णय हो। इस प्रकार हम हस्तक्षेप करने वालों की वकील सुश्री करुणा नंदी द्वारा यह मामला बनाने के प्रयास की सराहना नहीं करते हैं कि एक 'आधी रात का समझौता' हुआ था जिसमें इस न्यायालय और संघ के साथ धोखाधड़ी की गई थी। न्यायालय स्पष्ट रूप से एक समझौते के पहलू जिसमें प्रवेश किया जा रहा था में व्यस्त था, और कई बैठकों और कई दौर की सुनवाई के बाद यह पाया गया कि यह कार्रवाई का सबसे उपयुक्त तरीका था।

42. पर्याप्तता के पहलू पर, हमें उस तथ्यात्मक परिदृश्य पर भी ध्यान देना चाहिए जो स्वयं संघ के आंकड़ों के अनुसार उभरता है। मामूली चोटों के मामलों को छोड़कर, निपटान राशि वास्तव में अधिक थी जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है। जहाँ तक मामूली चोटों के मुद्दे का संबंध है, यह 1998 के सिविल अपील संख्या 3187-88 में आई. ए. संख्या 48-49/2004 में संघ के अपने हलफनामे से प्रतीत होता है कि चोट के मामलों में, रु. 50,000 से रु. 4 लाख (मूल और प्रो रेटा मुआवजा) और दुर्भाग्यपूर्ण रात को भोपाल के गैस प्रभावित क्षेत्रों में केवल उपस्थिति के मामलों में रु. 50,000 का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। उक्त हलफनामे में यह भी स्वीकार किया गया है कि सभी श्रेणियों के लिए मुआवजे की राशि उच्च पक्ष पर आवंटित की गई थी, और अनुपात के आधार पर बची हुई राशि के वितरण के बाद, मुआवजे की समग्र दर वास्तव में दोगुना हो गया है। हमारे लिए यह कहना पर्याप्त है कि विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, रु. भारतीय रिजर्व बैंक के पास 50 करोड़ रुपये असंवितरित राशि के रूप में बकाया पड़ा हुआ है।

43. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि डॉलर की विनिमय दर में वृद्धि के कारण विनिमय दर ने संघ के पक्ष में काम किया। निपटान राशि पर कुछ ब्याज भी आया। इसने संघ को दावेदारों के लिए अधिक संपूर्ण आवंटन करने की अनुमति दी है।

44. हम इस बात से अवगत हैं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई भी राशि वास्तव में पर्याप्त नहीं होती है। फिर भी, एक मौद्रिक निर्धारण होना था, और सामान्य कानून के लिए ज्ञात एकमात्र प्रतिपूरक तंत्र एकमुश्त निपटान है। इसे वैकल्पिक विकल्प की तुलना में कहीं अधिक बेहतर माना गया, जिसके तहत मुकदमे को यह जानने की उचित उम्मीद के बिना मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाएगी कि मुकदमा कब समाप्त होगा। यह निर्धारण निश्चित रूप से आगे की अपीलों और निष्पादन की प्रक्रिया के अधीन होगा, विशेष रूप से क्योंकि भारत में यू. सी. आई. एल. की संपत्ति केवल लगभग रु. 100 करोड़ थी।

बिना किसी समझौते के पीड़ितों के लिए तत्काल धन उपलब्ध नहीं होता। समझौते पर पहुँचते समय इन सभी कारकों ने इस न्यायालय को प्रभावित किया।

45. यह संघ का अपना रुख है कि आयुक्त ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से सभी दावों का निर्णय लिया है जहां अपील की संभावना प्रदान की गई थी। इसके अलावा, इस अदालत के दिनांक 19.07.2004 के आदेश में परमोत्कर्ष प्रक्रियाओं यह स्वीकार किया गया है कि निपटान की राशि वास्तविक आवश्यकता से अधिक पाई गई थी, और इस प्रकार दावेदारों को "मुआवजा प्रदान किया गया था जो कानून के तहत उन्हें जो उचित रूप से दिया जाना था, उससे कहीं अधिक था।" यह इस स्थिति को मजबूत करता है कि निपटान राशि दावेदारों को क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त थी।

46. संघ ने निजी पक्षों द्वारा ऐसा करने के प्रयासों का विरोध करने के बाद समझौते को फिर से खोलने की मांग करते हुए वर्तमान उपचारात्मक याचिकाएं दायर की हैं। कमी के मामले में उत्पन्न होने वाले परिदृश्य को समीक्षा निर्णय में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था, यानी कमी को पूरा करने और प्रासंगिक बीमा पॉलिसियों को लेने के लिए एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत संघ पर जिम्मेदारी रखी गई थी। आश्चर्य की बात है कि हमें सूचित किया जाता है कि ऐसी कोई बीमा पॉलिसी नहीं ली गई थी। यह भारत संघ की ओर से घोर लापरवाही है और समीक्षा निर्णय में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है। संघ इस पहलू पर लापरवाही नहीं कर सकता है और फिर यू. सी. सी. पर इस तरह के दायित्व को तय करने के लिए इस न्यायालय से अनुरोध नहीं कर सकता है।

47. 'टॉप अप' के लिए भारत संघ के दावे का किसी भी ज्ञात कानूनी सिद्धांत में कोई आधार नहीं है। या तो कोई समझौता वैध है या इसे उन मामलों में अलग रखा जाना है जहां इसे धोखाधड़ी से दूषित किया जाता है। संघ द्वारा ऐसी किसी धोखाधड़ी का अनुरोध नहीं किया गया है, और उनका एकमात्र तर्क कई पीड़ितों, चोटों और लागतों से संबंधित है, जिन पर उस समय विचार नहीं किया गया था जब समझौता किया गया था। दावा 2 और 3

के शीर्षक के तहत विशेष रूप से कोई अभिवचन नहीं है जिसे स्वीकार्य कहा जा सकता है, या जिसे समझौते के चरण में परिकल्पित नहीं किया जा सकता है। यह ज्ञात था कि लोगों के पुनर्वास के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना होगा और पर्यावरण का क्षरण होना तय था। वास्तव में, यह यू. सी. सी. का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने साइट को सक्रिय रूप से विषाक्तता मुक्त या विघटित नहीं किया, जिससे समस्या बढ़ गई। किसी भी मामले में, यह समझौते को रद्द करने की मांग करने का आधार नहीं हो सकता है, विशेष रूप से क्योंकि समझौता शीघ्रता से किया जाना था। विद्वान महान्यायवादी की प्रतिक्रिया रही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निपटान राशि को पूर्ण करने के लिए एक विधि तैयार की जाए। हमारा मानना है कि यह कार्रवाई का एक उचित तरीका या यू. सी. सी. पर अधिक दायित्व लागू करने का एक तरीका नहीं होगा, जितना कि वह शुरू में वहन करने के लिए सहमत था।

48. हम इस बात से भी उत्तने ही असंतुष्ट हैं कि संघ घटना के दो दशक से अधिक समय बाद इस मुद्दे को उठाने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत करने में असमर्थ है। यह मानते हुए भी कि प्रभावित व्यक्तियों के आंकड़े पहले के विचार से अधिक थे, ऐसे दावों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध रही। कल्याण आयुक्त ने वास्तव में अपने दिनांक 31.01.2009 के आदेश में कहा है कि आनुपातिक मुआवजे को शामिल करने पर, मोटर वाहन दुर्घटना दावों की तुलना में पीड़ितों को मुआवजे की राशि का लगभग छह गुना वितरित किया गया है। यह आदेश उन संगठनों द्वारा दायर एक आवेदन में आया था जिन्होंने 1989 में समझौते के समय प्रचलित रुपये की तुलना में डॉलर के रूपांतरण मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण अपने दावे की राशि को बढ़ाने की मांग की थी। भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का प्रसंस्करण) अधिनियम, 1985 और उसके तहत बनाई गई योजना के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़े 50 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग भारत संघ द्वारा लंबित दावों, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

49. लीस को बंद करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यह भारतीय न्यायपालिका के सामने आने वाले परिदृश्य के संदर्भ में अधिक है, जहां देरी लगभग अपरिहार्य है। इस चिंता को वर्तमान जैसे नुकसान दावे के संबंध में और बढ़ाया जाएगा-यदि प्रत्येक दावेदार के लिए सबूत दिया जाना था, तो यह यूसीसी के पक्ष में एक पेंडिंग बॉक्स खोलेगा। और केवल लाभार्थियों के लिए नुकसानदायक होगा। इस धन की आवश्यकता त्रासदी के तुरंत बाद थी, न कि तीन दशकों के बाद।

50. इस प्रकार, समझौते के माध्यम से प्रारंभिक चरण में अंतिम रूप दिया गया था। इसे फिर से खोलने के प्रयास असफल साबित हुए। अब समीक्षा याचिकाएं दायर नहीं होने के कारण, सुधारात्मक याचिकाएं भारत संघ द्वारा दायर की गई हैं, निजी दल जो यहाँ हमारे सामने हैं, संघ के गुटों पर सवार होना चाहते हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

51. इस प्रकार हमारा विचार है कि उपरोक्त सभी कारणों से उपचारात्मक याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार हम इसे खारिज करते हैं और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

1. (1989) 3 एस सी सी 38
2. (1991) 4 एस सी सी 584
3. (उपरोक्त)
4. (उपरोक्त)
5. (2007) 9 एस सी सी 707

6. (2002) 4 एस सी सी 388
7. (उपरोक्त)
8. (उपरोक्त)
9. (उपरोक्त)
10. (उपरोक्त)
11. (2006) 13 एस सी सी 321